


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 23, 2018/श्रावण 1, 1940

No. 248]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 23, 2018/SHRAVANA 1, 1940

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 जुलाई, 2018

विषय: केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के भीतर कार्य करने के निमित्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में फोटोग्राफों के लिए नीति (संशोधन के संबंधित)।

फा. सं. 29/5/2015-एम (भाग).—केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के भीतर फोटोग्राफों द्वारा आर्थिक लाभ के लिए कार्य करने के निमित्त, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 8 (घ) के तहत अपेक्षित लाइसेंसों को विनिश्चित करने और प्रशासित करने के लिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस विषय पर नीति तैयार की है जिसे भारत के राजपत्र के भाग I खंड 1 में दिनांक 24.5.2017 को अधिसूचित किया गया (इसमें इसके बाद प्रधान नीति के रूप में संदर्भित)।

अब, उक्त प्रधान नीति में आगे और अधिक संशोधन के लिए निम्नलिखित बदलाव किए जा रहे हैं -

1. प्रधान नीति के खंड 2.5 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"2.5 यह नीति उसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचित होने की तारीख से लागू होगी।"

2. प्रधान नीति के खंड 2.5 के पश्चात् निम्नलिखित खंड स्थापित किये जाएंगे-

"2.6 यदि कोई व्यक्ति/अभ्यर्थी आर्थिक लाभ के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों में फोटोग्राफी करने की रूचि रखता हो तो उसे इस नीति के अंतर्गत महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से लाइसेंस लेना होगा।

2.7 वर्ष 2012 से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रदत्त किसी भी लाइसेंस को पुनः सत्यापित करना होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित परीक्षा के साथ-साथ पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम में भाग लेना पुनः सत्यापन की शर्त होगी।

2.8 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2012 से पूर्व वैध रूप से प्रदान किए गए लाइसेंस के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किसी भी प्रकार (पहचान पत्र, आदि) के नामांकन/अधिकृति पर कार्यरत नौमीनी फोटोग्राफर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुनः सत्यापन के पश्चात् स्विकार किया जाएगा। नौमीनी फोटोग्राफर स्वयंका नौमीनेशन किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं कर सकता।"

3. प्रधान नीति के खंड 3.1 (खंड शीर्षक) को निम्नलिखित खंड (खंड शीर्षक) से प्रतिस्थापित किया जाएगा-
- “3.1 शैक्षिक योग्यता, नये उम्मीदवारों के लिए :- निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता अनुशंसित है,-
4. प्रधान नीति के खंड 3.2 के उप-खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड स्थापित किया जाएगा-
- “(ग) आयु सीमा: 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वो अपनी फिटनेस का मेडिकल प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकें।”
5. प्रधान नीति के खंड 3.4 के उप-खंड (ग) को निम्नलिखित उप-खंडों से प्रतिस्थापित किया जाएगा-
- “(ग) निम्नलिखित में से एक दस्तावेज को अधिवासिता के लिए दस्तावेजी प्रमाण के रूप में अनुशंसित किया जाता है:
- (i) सधम प्राधिकारी (तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं) द्वारा आवासीय प्रमाण का प्रमाणपत्र और,
- (ii) स्व-सत्यापित पासपोर्ट की प्रति,
- (iii) स्व-सत्यापित मतदाता पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की प्रति,
- (iv) स्व-सत्यापित राशनकार्ड की प्रति के साथ सत्यापित फोटो पहचान पत्र की प्रति”
6. प्रधान नीति के खंड 4 (खंड शीर्षक) के लिए निम्नलिखित खंड (खंड शीर्षक) प्रतिस्थापित किया जाएगा-
- “4. नए अभ्यर्थियों हेतु चयन प्रक्रिया”
7. प्रधान नीति के खंड 4.5 के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा-
- “4.5 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ली जाने वाली परीक्षा के स्वरूप, तरीके, माध्यम और परीक्षा का स्थान को विनिर्दिष्ट करेगा।”
8. प्रधान नीति के खंड 7 (खंड शीर्षक) के लिए निम्नलिखित खंड (खंड शीर्षक) प्रतिस्थापित किया जाएगा-
- “7. लाइसेंस का नवीकरण और पुनः सत्यापन”
9. प्रधान नीति के खंड 7.3 के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा-
- “7.3 नवीकरण अथवा पुनः सत्यापन का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा।”
10. प्रधान नीति के खंड 7.4 के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा-
- “7.4 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण समय-समय पर विनिर्दिष्ट आदेश के अनुसार लाइसेंस के नवीकरण अथवा सत्यापन अथवा पुनःसत्यापन के लिए शुल्क लेने का हकदार होगा।”
11. प्रधान नीति के खंड 7.4 के पश्चात् निम्नलिखित खंडों को स्थापित किया जाएगा-
- “7.5 वर्ष 2012 से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रदान किए गए सभी वैध लाइसेंस, जहां भी आवश्यक होगा, इन नीति के अंतर्गत पुनः सत्यापित किए जाएंगे।
- 7.6 वर्ष 2012 से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंसों को पुनः सत्यापित करने की आवश्यकता होगी बशर्ते अभ्यर्थी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा आयोजित पुनश्चर्या कार्यक्रम को पूरा करना होगा।
- 7.7 लाइसेंस प्राप्त पुराने फोटोग्राफर अथवा नौमीनी फोटोग्राफर को अपने लाइसेंस के सत्यापन या पुनः सत्यापन हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात् परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।
- 7.8 प्रत्येक अभ्यर्थी को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु तिन अवसर दिये जायेंगे बशर्ते स्मारक के लिए निर्धारित फोटोग्राफरों की संख्या के अनुसार आवश्यकता हो।
- 7.9 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के साथ-साथ ली जाने वाली परीक्षा के स्वरूप, अवधि और स्थान को विनिर्दिष्ट करेगा।”
12. प्रधान नीति के खंड 8 के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा-
- “8. लाइसेंस शुल्क : लाइसेंस प्रदान किया जाने या लाइसेंस के नवीकरण अथवा सत्यापन अथवा पुनः सत्यापन के लिए दिए गए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित शुल्क भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तरीके से जमा किया जाना चाहिए:-
- (क) विश्व विरासत स्मारक के लिए - 25,000 रु./-
- (ख) टिकट वाले और अन्य बगेर टिकट वाले स्मारक के लिए - 15,000 रु./-”

13. प्रधान नीति के खंड 9 (खंड शीर्षक) के लिए निम्नलिखित खंड (खंड शीर्षक) प्रतिस्थापित किया जाएगा-

“9. 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर लाइसेंस का नवीकरण अथवा पुनः सत्यापन :”

14. प्रधान नीति के खंड 11.1 के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा-

“11.1 लाइसेंस या पहचान पत्र, जैसा भी हो के प्रतिरूप (डुप्लीकेट) के लिए अभ्यर्थी को इसके चोरी होने अथवा ग़ुम हो जाने की पुलिस शिकायत/एफआईआर की प्रति सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विहित प्रपत्र में इस उद्देश्यार्थ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आवेदन देना होगा।”

15. प्रधान नीति के खंड 12.3 के उप-खंड (ख) के लिए निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा-

“(ख) पर्यटकों/आगंतुकों से फोटोग्राफ के लिए विनिर्दिष्ट दरों से अधिक पैसे लेना अथवा निम्नस्तर के फोटोग्राफ प्रदान करना” अथवा

16. प्रधान नीति के खंड 12.4 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा-

“12.4. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगंतुक/पर्यटकों के हित में स्मारकों के भितर कार्य करने संबंधी प्रणाली को सुचारु रूप में चलाने के लिए अथवा 'क्या करें' और 'क्या न करें' या लाइसेंसधारी फोटोग्राफरों के लिए लगाई जाने वाली अन्य शर्तों सहित शिकायतकर्ता और फोटोग्राफर के मध्य किसी विवाद के समाधान, को विनिर्दिष्ट करेगा।”

राकेश सिंह लाल, अतिरिक्त महानिदेशक

फुट नोट: प्रधान नीति की अधिसूचना दिनांक 24.05.2017 के द्वारा भारत का राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2018

Subject : The Policy for Archaeological Survey of India Photographers to perform within Centrally Protected Monuments (amendment regarding)

F. No. 29/5/2015-M(Pt).—To regulate and administer licences required under Rule 8(d) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 for photographers to perform within centrally protected monument for monetary consideration, Archaeological Survey of India (ASI) has formulated a Policy on the subject and notified on 24.05.2017 in the Gazette of India Part I Section I (hereinafter referred to as the principal Policy).

Now, further to amend the said principal Policy, additions and changes are made as under.

1. For clause 2.5 of the principal Policy, following shall be substituted-
“2.5 The policy shall come into force from the date on which it is formally notified by the ASI.”
2. After clause 2.5 of the principal Policy, the following clauses shall be inserted-
“2.6 Any person/candidate interested to carry out photography at ASI monuments for monetary consideration shall have to obtain licence under this policy from Director General, ASI.
2.7 Any Licences granted by ASI prior to 2012 shall have to be revalidated. Revalidation will be subject to photographer undergoing refresher courses with test conducted by ASI.
2.8 Nominee Photographer working on the basis of any nomination / authorization (ID Card, etc.) given by ASI prior to 2012, against validly granted licence of ASI shall be considered after revalidation by ASI. Nominee Photographer cannot further transfer his nomination to any other individual.”
3. For clause 3.1 (clause heading) of the Principal Policy, following clause (clause heading) shall be substituted-
“3.1 Educational Qualification for fresh candidates: Following qualification is recommended”
4. After sub-clause (c) of the clause 3.2 of the principal Policy, the following clause shall be inserted-
“(c) Age Limit. : Individual, who has attained 60 years of age may also apply subjected to submission of medical fitness certifying his fitness.”
5. For sub-clause (c) of clause 3.4 of the principal Policy, the following clauses shall be substituted-
“(c) One of the following documents is recommended as documentary proof for the purpose of Domicile Certificate:
(i) Certificate of proof of residence by the competent authority (not below the rank of Tehsildar).
(ii) copy of Passport, duly self-attested,

- (iii) copy of Voter Identity Card or Aadhar Card, duly self-attested,
(iv) copy of Ration Card, duly self-attested with copy of attested photo ID proof.”
6. For clause 4 (clause heading) of the principal Policy, the following clause (clause heading) shall be substituted-
“4. Process of selection for fresh candidates”
7. For clause 4.5 of the principal Policy, the following clause shall be substituted-
“4.5 ASI shall specify the nature, manner and mode of the test and place where the test shall be conducted.”
8. For clause 7 (clause heading) of the principal Policy, the following clause (clause heading) shall be substituted-
“7. Renewal and Revalidation of licenses”
9. For clause 7.3 of the principal Policy, the following clause shall be substituted-
“7.3 Renewal or Revalidation cannot be claimed as a matter of right.”
10. For clause 7.4 of the principal Policy, the following clause shall be substituted-
“7.4 Archaeological Survey of India shall be entitled to charge a fee for renewal or Validation or Revalidation of license, as specified by order, from time to time.”
11. After clause 7.5 of the principal Policy, the following clauses shall be inserted-
“7.5 All valid licences granted by ASI prior to 2012 shall be acknowledged under this policy subject to revalidation, wherever necessary.
7.6 The licenses granted by ASI prior to 2012 shall require to be revalidated subject to the condition that the candidate has to undergo refresher course with test conducted by ASI. Further, Nominee Photographer falling under clause 2.8 shall have to undergo refresher course with test conducted by ASI.
7.7 Old licenced photographer or Nominee Photographer shall have to pass the test after completion of refresher course for validation or revalidation of his/her licence.
7.8 Each candidate shall be give maximum 3 attempts to clear the refresher course with test.
7.9 Archaeological Survey of India shall specify the manner, duration and place where the refresher course with test to be conducted.”
12. For clause 8 of the principal Policy, the following clause shall be substituted-
“8. Licence fee : Every application for grant of licence or renewal of licence or validation or revalidation of licence shall be accompanied by the following fee to be submitted in the manner as may be specified by ASI.
(a) For World Heritage Monument - Rs. 25,000/-
(b) For ticketed and other non-ticketed monument – Rs. 15,000/-”
13. For clause 9 (clause heading) of the principal Policy, the following clause (clause heading) shall be substituted-
“9. Renewal or revalidation of licence upon attaining age of 60 years.”
14. For clause 11.1 of the principal Policy, the following clause shall be substituted-
“11.1 For Duplicate license or ID card, as the case may be, the candidate shall make an application to the Archaeological Survey of India for the purpose in the format as specified by ASI with copy of police complaint/FIR on its theft or loss.”
15. For sub-clause (b) of clause 12.3 of the principal Policy, the following sub-clause shall be substituted-
“(b) Charging tourist/visitor for photography beyond specific rates or providing low quality photographs. or”
16. For clause 12.4 of the principal Policy, the following clause shall be substituted-
“12.4 Archaeological Survey of India shall specify other conditions required or do's & don'ts to be followed or imposed for smooth functioning of the licensed photographers in monuments in the interest of visitors/tourists including dispute resolution if arises between complainant and photographer.”

RAKESH SINGH LAL, ADDL. Director General

Foot Note: The principal Policy was first published in the Gazette of India Extraordinary, on 24.05.2017 in Part I Section 1.